

कार्यालय जिला परिषद एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम राजस्थान जिला बांसवाड़ा

क्रमांक :- महानरेगा(03)स्था/2010-11/

8142

दिनांक :- 4/6/10

विज्ञप्ति

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत बांसवाड़ा जिले में निम्न पदों पर नियुक्ति हेतु अनुबन्ध पर दिनांक 28.02.2011 तक के लिए (पूर्णतया अस्थाई) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र. सं.	सेवा / पद का नाम	परस्थापन का माध्यम	देय मानदेय / अधिकतम एक मुश्त प्रति माह	योग्यता	पदों की संख्या
1.	समन्वयक आई ई सी	संविदा पर	10000/- प्रतिमाह एक मुश्त	न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं पत्रकारिता में डिप्लोमा। प्रचार प्रसार में विशेष योग्यताधारी को प्राथमिकता। सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के क्रियान्वयन में 5 वर्ष के अनुभवधारी अभ्यर्थी को प्राथमिकता। (अधिकतम आयुसीमा 50 वर्ष)	1 पद जिला स्तर पर

शर्तें :-

1. आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय/कार्यालय की वेबसाईट www.banswara.nic.in पर देखें जा सकते हैं।
2. आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम दिनांक 15.07.2010 को सांय 5.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा। डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अपूर्ण/कांट-छांट/बिना हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिये जायेंगे।
3. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ योग्यता सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
4. आवेदक की आयु 01.06.2010 को न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 50 वर्ष मान्य होगी
5. साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
6. पदों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकेगी।
7. किसी भी तरह का विवाद होने पर निर्णय जिला कार्यक्रम समन्वयक(ईजीएस) एवं जिला कलक्टर, बांसवाड़ा का मान्य होगा।
8. उक्त पदों पर पूर्णतया संविदा पर चयन वित्त विभाग के परिपत्र प.1(5)वित्त विभाग/नियम/2002 दिनांक 09.01.2007 एवं संशोधित अनुबन्ध पत्र दिनांक 19.02.2010 के तहत किया जायेगा।
9. संविदा पदों में आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार किया जायेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
(NREGS) जिला परिषद बांसवाड़ा

समन्वयक आई ई सी हेतु आवेदन पत्र

सेवामें,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एवं अति. कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) बांसवाड़ा।

1. प्रार्थी का नाम :-
 2. पिता/पति का नाम :-
 3. जन्म तिथि :-
 4. आरक्षण मय जाति :-
 5. प्रार्थी का पता :-
- :- दूरभाष मोबाईल न.....

Recently Passport
Size colored
photograph of
applicant with
signature &
attested by
Gazetted officer

6. पद का नाम – समन्वयक आई ई सी

7. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.सं.	योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1					
2					

8. तकनीकी योग्यता :-

क्र.सं.	योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत

9. अनुभव प्रमाण पत्र :-

क्र.सं.	नाम कार्यालय/संस्था	पद नाम	अवधि से	तक

संलग्न :- समस्त शैक्षणिक योग्यता, जन्म दिनांक(सेकेण्डरी) प्रमाण पत्र, मूल निवास के सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

:: घोषणा पत्र ::

मैं पुत्र श्रीग्राम
..... ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला बांसवाड़ा (राज.)
का होकर घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनाएँ सही हैं एवं इसमें किसी भी प्रकार का तथ्य मेरे द्वारा छिपाया नहीं गया है। जन्म तिथि, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, अनुभव, निवास सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न हैं सम्बन्धित मूल दस्तावेज विभाग द्वारा मांगे जाने पर मेरे द्वारा प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर

शर्त :-

1. आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को अपने नाम पिता का नाम जाति लिंग आयु शैक्षणिक योग्यता, निवास स्थान का वर्तमान स्थायी पता मय टेलिफोन व मोबाईल नम्बर आदि का अंकन करेंगे।
2. वर्तमान में अनुबन्ध अवधि 28.02.2011 तक है इसके पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध की अवधि को बढ़ाया जा सकेगा।
3. सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को कभी भी सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
4. आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम दिनांक 15.07.2010 को सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा। डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएँगे तथा अपूर्ण/काट-छांट /बिना हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र प्रथम दृष्ट्या निरस्त कर दिये जावेंगे।
5. आवेदक की आयु 01.06.2010 को न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 50 वर्ष मान्य होगी
6. साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. पदों की संख्या घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं।
8. किसी भी तरह का विवाद होने पर निर्णय जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं जिला कलक्टर बांसवाड़ा का मान्य होगा।
9. उक्त पदों पर पूर्णतया संविदा पर चयन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या प 1(5) वित्त विभाग/नियम/2002 दिनांक 09.01.2007 एवं संशोधित अनुबन्ध पत्र दिनांक 19.02.2010 के तहत किया जायेगा।
10. संविदा पदों में आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार किया जायेगा।